

संख्या:— / E-64692 / 2024

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक अप्रैल, 2024

विषय— वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-26/रा0नि0आ0-ले0/4141/2023 एवं संख्या-27/रा0नि0आ0-ले0/4141/2023 दिनांक 08.04.2024, तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-201358, दिनांक 22 मार्च, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-05, के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित मदों में प्राविधानित कुल धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 **35,66,27,000.00** (रू0 पैंतीस करोड़ छियासठ सत्ताईस हजार मात्र) को, निम्न शर्तों के अधीन, व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- i. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, किया जायेगा।
- ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में कदापि नहीं किया जायेगा।
- iii. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को कम करने का अधिकार नहीं देता है, जिसमें बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- iv. निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा।
- v. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
- vi. वचनबद्ध मदों, यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जलप्रभार, किराया, मजदूरी तथा आउटसोर्सिंग आधार पर नियोजित कार्मिकों के वेतन हेतु व्यवसायिक सेवाओं के लिए भुगतान, आदि मदों की धनराशि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय

मासिक आधार पर किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

vii. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान की धनराशि भी आहरण-वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा, परन्तु अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

viii. बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका प्रमाणित विवरण शासन, वित्त अनुभाग-1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

ix. इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुक्रम में शासन स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार राजस्व पक्ष के सुसंगत उप मानक मदों में आय-व्यय के सापेक्ष धनराशि **रु० 35,66,27,000.00 (रु० पैंतीस करोड़, छियासठ सत्ताईस हजार मात्र)** का बजट आवंटन वित्त विभाग द्वारा विभागीय अनुदान सं०-05 के अन्तर्गत आपको आवंटित कोड में कर दिया गया है।

2- इस संबन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358, दिनांक 22 मार्च, 2024 के द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्थान्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-आवंटन आई०डी०

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-4/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
7. गार्ड बुक।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव

क्र0सं0	अनुदान संख्या-05 एवं लेखाशीर्षक	धनराशि हजार में
---------	---------------------------------	-----------------

2015-00-109-02-राज्य निर्वाचन आयोग का अधिष्ठान(स्थानीय निकाय आदि हेतु)		
1	01-वेतन	13900.00
2	02-मजदूरी	120.00
3	03-मंहगाई भत्ता	7784.00
4	04-यात्रा व्यय	100.00
5	06-अन्य भत्ते	1529.00
6	08-पारिश्रमिक	3150.00
7	09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	100.00
8	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	20.00
9	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	400.00
10	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500.00
11	22-कार्यालय व्यय	700.00
12	23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	1.00
13	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	400.00
14	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	1000.00
15	27- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000.00
16	29- गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण व ईंधन आदि की खरीद	300.00
17	30- आतिथ्य व्यय	100.00
18	51-अनुरक्षण	2000.00
	योग	33104.00

2015-00-109-02- राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय		
1	01-वेतन	2000.00
2	02-मजदूरी	8470.00
3	03-मंहगाई भत्ता	1120.00
4	04-यात्रा व्यय	104700.00
5	06-अन्य भत्ते	220.00
6	07-मानदेय	57000.00
7	08-पारिश्रमिक	2700.00
8	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	13.00
9	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	50000.00
10	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500.00
11	22-कार्यालय व्यय	2500.00
12	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन	1000.00
13	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	600.00
14	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	1800.00
15	27- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	900.00
16	29- गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण व ईंधन आदि की खरीद	40000.00
17	42- अन्य विभागीय व्यय	50000.00
	योग	323523.00

महायोग-

रु0 35,66,27000.00

(रु0 पैंतीस करोड़, छियासठ लाख सत्ताईस हजार मात्र)